DCM
LIMITED

June 12, 2018

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block
Bandra – Kurla Complex
Bandra (E),
Mumbai - 400051

BSE Limited
Floor 25, PJ Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001

Sub: Publication of Notice of NCLT Convened Meetings of shareholders and Creditors in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in connection with proposed Scheme of Amalgamation

[Scrip code: NSE (DCM) /BSE(502820)]

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith scanned copy of the Newspaper Advertisement, in respect of the Notices of NCLT Convened Meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors in connection with proposed Scheme of Amalgamation of Crescita Enterprises Private Limited ('Transferor Company') into & with DCM Limited ('Transferee Company'), published in the following newspapers:

i) 'Business Standard' newspaper in the English Language (Delhi edition); and

ii) 'Jansatta in Hindi language (Delhi edition)

Kindly take the same on record.

Thanking You,
Yours truly,
For **DCM Limited**

DCM LIMITED NEW DELHI

Yadvinder Goyal
Company Secretary

Encl.: As above

e-mail id: investors@dcm.in

Registered Office :
Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi-110008
Phone : (011) 25719967 Fax : (011) 25765214
CIN: L74899DL1889PLC000004 Website: www.dcm.in E-mail: dcmltd@dcm.in

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
COMPANY APPLICATION (CAA) NO. 31 (PB) OF 2018

In the matter of the Companies Act, 2013;

And

In the matter of Sections 230 to 232 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013;

And

In the matter of Scheme of Amalgamation of Crescita Enterprises Private Limited into & with DCM Limited and their respective shareholders and creditors;

Crescita Enterprises Private Limited, a company incorporated under the Companies Act, 2013 and having its registered office at 1069, First floor, Plaza-I, Central Square Complex, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi -110006

..... Applicant No.1 /Transferor Company

AND

DCM Limited, a company incorporated under the Indian Companies Act, 1882 and having its registered office at Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi - 110008

..... Applicant No. 2 /Transferee Company

ADVERTISMENT OF NOTICE CONVENING MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF DCM LIMITED ('TRANSFEREE COMPANY'/'COMPANY')

Notice is hereby given that by an order dated the March 28, 2018, the Principal Bench of the National Company Law Tribunal ('Tribunal'), New Delhi has directed separate meetings to be held of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of Transferee Company for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the proposed Scheme of Amalgamation of Crescita Enterprises Private Limited into and with DCM Limited and their respective shareholders and Creditors ('Scheme').

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that the aforesaid meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company will be held as under at which time and place the said Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors are requested to attend:

Transferee Company				
S. No.	Class of Meeting	Date of Meetings	Time (IST)	Place of Meeting
1.	Equity Shareholders	Saturday, 14th July, 2018	9.30 AM	Aiwan - E - Ghalib Auditorium, Mata Sundari Lane, Kotla Road, Maulana Azad Road, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
2.	Secured Creditors		11.15 AM	
3.	Unsecured Creditors		12.30 PM	

Copies of the said proposed Scheme of Amalgamation and of the Explanatory statement under section 230(3) can be obtained free of charge on any working day (except Saturdays, Sundays and Public Holidays) at the registered office of the Company.

Persons entitled to attend and vote at the respective meetings may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Company at Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi - 110008 not later than 48 hours before the meeting.

Forms of proxy can be had at the registered office of the Transferee Company.

The Tribunal has appointed Justice B.B. Parsoon and failing him, Mr. Ashok Bharadwaj (Advocate) as Chairperson for the said meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured creditors of the Transferee Company. Further, the Tribunal has appointed CA Upkar Singh as the Scrutinizer to conduct the voting through postal ballot form, e-voting and Polling Paper at the venue of the aforesaid meetings in a fair and transparent manner.

The above mentioned Scheme, if approved by the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company at their respective meetings, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

In pursuance of the aforesaid Order of Tribunal, the Transferee Company has provided the facility of voting through polling paper at aforesaid meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors. The Transferee Company has also provided the facility of voting through postal ballot form and e-voting to its Equity Shareholders to enable them to vote on the proposed scheme. The Company has engaged the services of National Securities Depository Services Limited (NSDL) for facilitating the e-voting services. Equity shareholders exercising vote by using e-voting facility are requested to carefully follow the instructions given in the Notice of aforesaid Tribunal convened meeting of Equity shareholders of Transferee Company.

Further notice is given to the Equity Shareholders of the Transferee Company that:

1. The cut-off date for determining the eligibility of the Equity Shareholders for voting though postal ballot or e-voting or polling paper at the venue of the Tribunal convened meeting is 11th May, 2018. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to vote. Person who are not Equity Shareholder of the Transferee Company as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
2. Voting through postal ballot and e-voting shall commence on June 14, 2018 at 9.00 AM (IST) and shall end on July 13, 2018 at 5.00 PM (IST).
3. On June 11, 2018, the Transferee Company has completed dispatch of notice of the meeting setting out draft of the Resolution along with annexures thereto including Postal Ballot Form and Business Reply Envelope to all the Equity Shareholders of the Company (as at the cut-off date of 11th May, 2018) & electronically to those Equity Shareholders who have registered their e-mail addresses with the Company or Depository Participants.
4. Equity shareholders who have not received the postal ballot form can either download the same from the website of the company, www.dcm.in or obtain it from the registered office of the Transferee Company.
5. Duly filled and signed Postal Ballot form in the Business Reply Envelope (BRE) should reach the Scrutinizer not later than Friday, July 13, 2018 (5.00 pm IST), to be eligible for being considered, failing which, it will be strictly considered that no reply has been received from the member.
6. Notice of the said meeting is available on the Transferee Company's website viz., www.dcm.in and on the website of NSDL viz., www.evoting.nsdl.com apart from the website of the Stock Exchanges where the Transferee Company's shares are listed viz., www.bseindia.com and www.nseindia.com.
7. Members can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or postal ballot or polling paper at Tribunal convened meeting. However, in case members cast their vote by more than one means of voting, then voting will be counted in the following sequence of priority, namely, (i) Remote e-voting, (ii) postal ballot, and (iii) polling paper at Tribunal convened meeting, as may be applicable. It is clarified that casting of votes by postal ballot or remote e-voting does not disentitle an Equity Shareholder as on the cut-off date of May 11, 2018 from attending the meeting.
8. In case of queries/grievances relating to voting by Postal Ballot or by electronic means, Equity Shareholders are requested to contact Mr. Ajay Kumar Dalal, MCS Share Transfer Agents Limited, F-65, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020; Phone No. - 011-41406149, email: admin@mcsregistrars.com or NSDL at toll free no.: 1800 222 990 or may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads Section of www.evoting.nsdl.com

By Order of the Board of Directors
For DCM Limited
Sd/-
Yadvinder Goyal
Company Secretary

Place: New Delhi
Dated: June 12, 2018

(Pilibhit).

The existing technical parameters of each sugar mill for last three seasons (annexure-1) can be seen at our website **www.upsugarfed.org.**

The technical targeted parameters to be achieved after modernization & enhancement of working efficiency in each sugar mill can be seen (annexure-2) on our website www.upsugarfed.org.

Specific areas for which equipments/machinery/new system to be installed in each sugar mill can be seen (annexure-3) on our website www.upsugarfed.org.

Reputed firms with high credentials in the technical upgradation work specially in the field of energy conservation & improvement of sugar quality in sugar mill in India producing plantation white sugar using double sulphitation process, are requested to attend the expression of interest on **27.06.2018 at time 11.00 AM** at Federation Office. Interested parties may visit the concerned mills to access the actual status of various existing equipments/machinery/process system.

Contact Persons:
Sri M. K. Kulshreshtha, GM (Tech) - 7880888812
Shri S.K. Agrawal, GM (Proj. Fin.) - 7880888813
Shri Arun Nigam, GM (ST) - 7880888842
Shri S.K Ohri, GM (Project) - 7880888890

The details of EOI are placed at our website & can be downloaded from there. Please visit our website regularly for any corrigendum.

Managing Director

CENTURYPLY®

CENTURY PLYBOARDS (INDIA) LIMITED

CIN : L20101WB1982PLC034435
Registered Office : 6, Lyons Range, Kolkata - 700001
Tel.: (033) 39403950; Fax: (033) 22483539
Email : investors@centuryply.com; Website: www.centuryply.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Notice is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended from time to time, the Equity Shares of the Company in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for a period of seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the demat account of the IEPF Authority.

The Company has sent individual communication to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Suspense Account under the said Rules at their latest available address.

The Company has uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Suspense Account on its website at www.centuryply.com. Shareholders are requested to refer to the Investors section on the website to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Suspense Account. The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Suspense Account, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer to IEPF Suspense Account as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF pursuant to the provisions of the Rules.

Notice is also hereby given to all such shareholders to forward the requisite documents as mentioned in the aforesaid communication to the Company/Registrar by 8th August, 2018 with a request for claiming the unpaid dividend for the year 2010-11 and onwards so that the shares are not transferred to the IEPF Suspense Account.

It may please be noted that if no reply is received by the Company or the Registrar by 8th August, 2018, the Company shall transfer the shares to the IEPF Suspense Account, without any further notice, by following the due process as enumerated in the said Rules which is as under:

1) In case of shares held in physical form- by Issuance of duplicate share certificate and thereafter transferring the same to IEPF Suspense Account as mentioned above;

2) In case of shares held in demat mode- by transfer of shares directly to demat account of IEPF.

Kindly note that all future benefits, dividends arising on such shares would also be transferred to IEPF Suspense Account.

It may be noted that the shares transferred to IEPF Suspense Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure as prescribed under Rules. You are also requested to update your Bank Account details with the Company or the Registrars.

For any clarification on this matter, please contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd., [Unit: Century Plyboards (India) Ltd.] at 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700 001. Tel: 2248-2248, 2243-5029, 2231-6859, E-mail ID: mdpldc@yahoo.com.

For Century Plyboards (India) Limited
Sd/-
Sundeep Jhunjhunwala
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 12.06.2018

ी-एक

...ारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/...कृत फर्मों/ठेकेदारों से निम्न कार्यों हेतु ...र्वाह्न 11.00 बजे से दिनांक 27.06.2018 को ...ई-निविदाओं को दिनांक 28.06.2018 को ...य पद्धति की तरह होगी। निविदा में निर्धारित ...ायेंगे और उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं ...) बजे खोली जायेगी। निविदादाताओं को ...rmate को पूर्ण करते हुए हस्ताक्षरित कर ... Bill Of Quantity को Financial Bid

...र्य की लागत ...ख0 लाख में)	पंजीकृत श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
Rs. 59.73 Lacs	A & Above	06 Months

...ी0एस0टी0 सहित ही दरें अंकित करें।

...की मूल प्रतियों को पंजीकृत डाक अथवा ...ार्यालय में प्राप्त कराना अनिवार्य है। अन्यथा ...समस्त विवरण व शर्तें यूपीएसआईडीसी की ...ebsite: http://etender.up.nic.in

अधिशाषी अभियन्ता (वि0),
...ई0मेल- ed2_upsidc@yahoo.com

...रा तल, इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग, ...र मार्ग, नई दिल्ली-110002

...त्ति के लिए)

...1) के साथ परिशिष्ट-IV के अनुसार ...तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ...में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, ...त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ...मै. संतोष कुमार सुशील कुमार (प्रॉप्राइटर ...मार्टगैजर/ गारन्टर्स, 2) श्री सुशील कुमार ...ना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ...(रुपए सत्ताईस लाख तिरेसठ हजार एक सौ ...ा ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक स्वीकृत ...देश दिया था।

...फल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टर/ ...दिनांक 7 जून, 2018 को महोबा, उत्तर प्रदेश ...2 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की ...हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति

...लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की ...ती है।

...ता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे ...त्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. ...दीढ तथा पैसे अड़सठ मात्र) 30.11.2015 ...तक स्वीकृति की शर्तों के अनुसार अनुषांगिक

...वरण

	स्वामित्व में
...वार्ड नं. ...र्ग मीटर,	सुशील कुमार गोयल एवं नरेन्द्र गोयल

...के अंतर्गत 30 दिनों की बिक्री सूचना मानी

प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लि. के लिए

...nant Lok, Gurgaon Branch
...) 4047136,4047137 Fax : (0124) 4047137
...Mail : bom1295@mahabank.co.in

...वे)

...र्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, ...री के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) ...12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ...017 जारी कर ऋणधारक मै. आरएसटी ...की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर .../- (रुपए नौ करोड़ तिरासी लाख पैंतीस ...ा ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

...अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता ...को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के ...अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ...कर लिया है।

...रा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे ...ा किसी भी तरह का व्यवसाय यहाँ ऊपर ...ीन होगा।

...करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में ...के प्रति आकृष्ट की जाती है।

...ा गई सम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

...रा तल, ई ब्लॉक, वनस्थली अपार्टमेन्ट्स, ...ाप 147.59 वर्ग मी.।

...-I, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पत्ति, ...ाप

महा प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
(बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष
प्रधान पीठ, नई दिल्ली
कंपनी आवेदन (सीएए) न0. 2018 का 31 (पीबी)

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

तथा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के मामले में

तथा

डीसीएम लिमिटेड में क्रेसिटा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन की योजना तथा उनके शेयरधारकों और लेनदारों के मामले में

क्रेसिटा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय 1069, फर्स्ट फ्लोर, प्लाजा –1, सेंट्रल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, 20, मनोहर लाल खुराना मार्ग, बारा हिंदू राव, दिल्ली –110006 में है।

.....**आवेदक–1/हस्तांतरणकर्ता कंपनी**

डीसीएम लिमिटेड,
इंडियन कंपनी अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के तहत निगमित एक सूचीबद्ध कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय विक्रांत टॉवर, 4, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008 में है।

.....**आवेदक–2/हस्तांतरी कंपनी**

डीसीएम लिमिटेड ('हस्तांतरी कंपनी'/'कंपनी') के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक के आयोजन की सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ('अधिकरण'), नई दिल्ली की प्रधान पीठ ने अपने आदेश दिनांक 28 मार्च, 2018 के द्वारा डीसीएम लिमिटेड में क्रेसिटा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन की योजना तथा उनके शेयरधारकों और लेनदारों पर विचार करने और यदि जरूरी हुआ तो संशोधन या बिना संशोधन उसे अनुमोदित करने के लिए हस्तांतरी कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की अलग–अलग बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

कथित आदेश एवं निर्देश के अनुसरण में, आगे सूचना दी जाती है कि हस्तांतरी कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की उपरोक्त कथित बैठक निम्नानुसार आयोजित की जाएगी जिसके लिए कथित इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों से निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है:

हस्तांतरी कंपनी

क्र. सं.	बैठक की श्रेणी	बैठक की तिथि	समय (भा.मा.स)	बैठक का स्थान
1.	इक्विटी शेयरधारक	शनिवार, 14 जुलाई, 2018	प्रातः 9.30 बजे	अवान–ई–गालिब ऑडिटोरियम, माता सुन्दरी लेन, कोटला रोड, मौलाना आजाद रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
2.	प्रतिभूत लेनदार		प्रातः 11.15 बजे	
3.	अप्रतिभूत लेनदार		अप. 12.30 बजे	

धारा 230(3) के अंतर्गत कथित समामेलन की प्रस्तावित योजना और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस (शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) पर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

संबंधित बैठकों में उपस्थित होने एवं वोट देने का पात्र व्यक्ति व्यक्तिगत या प्रॉक्सी के माध्यम से वोट दे सकता है बशर्ते कि सभी प्रॉक्सियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय विक्रांत टॉवर, 4, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 में बैठक के 48 घंटे पूर्व जमा कर दिया जाए।

प्रॉक्सी फार्म हस्तांतरी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

अधिकरण ने हस्तांतरी कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की कथित बैठक के लिए न्यायमूर्ति बी.बी पारसून और उनकी अनुपस्थिति में श्री अशोक भारद्वाज (वकील) को अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा, अधिकरण ने डाक मतपत्र फार्म, ई–वोटिंग और उपरोक्त कथित बैठक में पोलिंग पेपर के माध्यम से वोटिंग को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने के लिए सीए उपकार सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

उपरोक्त वर्णित योजना, यदि अपनी संबंधित बैठकों में हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा अनुमोदित की जाती है तो यह अधिकरण के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

अधिकरण के कथित आदेश के अनुसरण में, हस्तांतरी कंपनी ने इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की उपरोक्त कथित बैठकों में पोलिंग पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। हस्तांतरी कंपनी ने प्रस्तावित योजना पर वोट देने के लिए सक्षम बनाने हेतु अपने इक्विटी शेयरधारकों को डाक मतपत्र और ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने की भी सुविधा प्रदान की है। कंपनी ने ई–वोटिंग सेवा को सुगम बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं। ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने वाले इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अधिकरण द्वारा हस्तांतरी कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक आयोजित कराने के लिए उपरोक्त कथित सूचना में दिये गये निर्देशों का भली–भांति पालन करें।

हस्तांतरी कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :

1. डाक मतपत्र या ई–वोटिंग या अधिकरण द्वारा निर्देशित बैठक के आयोजन के स्थल पर मतदान पत्र के माध्यम से वोट देने हेतु इक्विटी शेयरधारकों की योग्यता के निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि 11 मई, 2018 है। वह व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार की गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है, केवल वही वोट देने का पात्र होगा। वह व्यक्ति जो हस्तांतरिती कम्पनी का इक्विटी शेयरधारक नहीं है, वह इस सूचना को जानकारी का प्रयोजन मात्र समझे।
2. डाक मतपत्र और ई–वोटिंग सहित वोटिंग 14 जून, 2018 को प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स) प्रारंभ होगी और 13 जुलाई, 2018 को सायं 5.00 बजे (भा.मा.स) समाप्त होगी।
3. 11 जून, 2018 को हस्तांतरी कंपनी ने कंपनी के उन सभी इक्विटी शेयरधारकों (कट–ऑफ तिथि 11 मई, 2018 के अनुसार), और कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास जिनके ई–मेल पते दर्ज हैं, उन इक्विटी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में डाक मतपत्र फार्म एवं बिजनैस उत्तर लिफाफे के साथ सभी संलग्नकों सहित प्रस्ताव के निर्धारित ड्राफ्ट से शामिल सूचना भेजने का कार्य पूर्ण कर लिया है।
4. इक्विटी शेयरधारक जिन्हें डाक मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ है वह इसे कंपनी की वेबसाइट www.dcm.in से डाउनलोड कर सकते है या हस्तांतरी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
5. बिजनैस उत्तर लिफाफा (बीआरई) में विधिवत् भरा गया डाक मतपत्र फार्म पर्यवेक्षक के पास शुक्रवार, 13 जुलाई, 2018 को (सायं 5.00 बजे भा.मा.स) तक पहुंच जाना चाहिए तभी इसे योग्य मानकर इस पर विचार किया जाएगा और बाद में प्राप्त होने पर इसे सदस्य से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ माना जाएगा।
6. कथित बैठक की सूचना हस्तांतरी कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.dcm.in और एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com के अलावा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहां हस्तांतरी कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
7. अधिकरण के आदेश पर आयोजित बैठक में सदस्यगण वोटिंग की केवल एक पद्धति या तो रिमोट ई–वोटिंग या डाक मतपत्र या पोलिंग पेपर का बिकल्प चुन सकते हैं। यद्यपि, यदि सदस्य वोटिंग की एक से अधिक पद्धति से अपना वोट देता है तो उसके वोट की गणना प्राथमिकता आधार पर निम्नलिखित क्रम में की जाएगी (1) रिमोट ई–वोटिंग (2) डाक मतपत्र और (3) बैठक के स्थल पर पोलिंग पेपर, जैसा भी लागू हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि 11 मई, 2018 की कट–ऑफ तिथि पर पंजीकृत इक्विटी शेयरधारकों, द्वारा डाक मतपत्र या रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट देने पर, उन्हें बैठक में भाग लेने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
8. डाक मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे श्री अजय कुमार दलाल, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड, एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020, फोन नं. 011-41406149 ई–मेल: admin@mcsregistrars.com से सम्पर्क करें या एनएसडीएल टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर कॉल करें या www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सैक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं सदस्यो के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते डीसीएम लिमिटेड
हस्ता/–
यादविन्दर गोयल
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 12 जून, 2018

उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (क) के विषय में
तथा
हीरो यूऑन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 603, इंटरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 में स्थित है, के विषय में

.....**याचिकादाता**

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 27 फरवरी, 2018 को आयोजित इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, द्वितीय तल, "बी–2" विंग, डा. दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :

603, इंटरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019

कृते एवं हिते बोर्ड
हीरो यूऑन प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
आदित्य मुंजाल
तिथि : 12 जून, 2018 निदेशक
स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 05349407

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार के समक्ष
उत्तरी क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(क) के विषय में

तथा

एग्सर्व (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वतः नेक्सिफ (इन्क्राको) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) जिसका पंजीकृत कार्यालय मास्टरप्रीस बिल्डिंग 5वां तल, सैक्टर–54, गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव, हरियाणा–122022 में स्थित है, के विषय में

.....**याचिकादाता**

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा एक आवेदन, 21–05–2018 को सम्पन्न इसकी असाधारण सामान्य बैठक में इसका पंजीकृत कार्यालय **"हरियाणा राज्य"** से **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां **क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) कार्पोरेट मंत्रालय, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003** को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह (14) दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके ऊपर दिए पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए।

कृते एवं हिते आवेदक
एग्सर्व (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्वतः नेक्सिफ (इन्क्राको) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)
हस्ता./–
अनिल कुमार गुप्ता
तिथि : 21–05–2018 निदेशक
स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 07860242
पता : बी–66, प्रथम तल, रामप्रस्थ कालोनी, गाजियाबाद–201011